

निर्णय दिनांक :- 11/12/20

वादी की और से रामकुमार बिश्नोई अधिवक्ता, प्रतिवादी 1 की और से श्री अनिल कुमार अधिवक्ता की उपस्थिति में आज दिनांक 11/12/20 को कपिल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाकर डिक्री की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक नम्बर 5 एम. डी. खाता संख्या 62/17 प0नं0 172/332 मुरबा नं0 23 किला नम्बर 18/1/0.171, 19/3/0.141, 22/4/0.215, 23/2/0.228 तादादी 0.755 है0 नहरी दर्ज खातेदारी दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 नाम कलमजन कर वादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है तथा उनके आपसी सहमति से निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 भोलाराम के कब्जा काश्त की भूमि— चक नम्बर 5 एम. डी.खाता सं0 62/17 प0नं0 172/332 किला नम्बर 18/1/0.171, व 19/3/0.081 है0 कुल तादादी 0.252 है0।
2. वादी संख्या 2 सुखनसिंह के कब्जा काश्त की भूमि—चक नम्बर 5 एम. डी. खाता सं0 62/17 प.न. 172/332 किला नम्बर 19/3/0.060, व 22/4/0.192 है0 कुल तादादी 0.252 है0।
3. वादी संख्या 3 सुलखनसिंह के कब्जा काश्त की भूमि— चक नम्बर 5 एम. डी.खाता सं0 62/17 प0नं0 172/332, 22/4/0.023, व 23/2/0.228 है0 कुल तादादी 0.251 है0

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/विरानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 11/12/20 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गई।

सत्यमेव जयते

(कपिल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़।

Web Copy

प्रमाणित प्रतिलिपि

रेडर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़